राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: innovation.cceraj@gmail.com Ph.: 0141-2706106 (O);

पत्रांक: CCE/ P&C/ ISDC/ CBB/2019/ **1218** Date: 07th Sept. 2019

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः राजकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को पढने के लिये पुस्तकों तक पहुँच सुनिश्चित करने एंव उनमें पुस्तक बैंक प्रबंधन कौशल विकसित करने हेतु Community Book Bank Programme आरम्भ करवाने बाबत्।

महोदय,

महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की सुविधा और सहायता के लिए महाविद्यालय स्तर से एक और नवाचार परक प्रयास अपेक्षित है। **"पुस्तक दान – एक महादान"** एक पुनीत कार्य है, जिसमें महाविद्यालय से बाहर के दानादाताओं, समस्त शिक्षक साथियों एवं पास–आउट स्टूडेन्ट्स के द्वारा पुस्तक दान प्राप्त करके सभी इच्छुक/जरुरतमंद विद्यार्थियों की सहायता की जा सकती है। इस पुनीत पहल के बहु–लाभ एवं दूरगामी परिणाम अपेक्षित हैं। अतः महाविद्यालयों से आग्रह है कि विद्या के प्रचार–प्रसार एवं जरुरतमंदों की सहायता के लिये इस अनौपचारिक अभियान का हिस्सा बनकर समाज को सकारात्मक संदेश दें। इस पहल के लिये –

1. **कॉलेजेज को क्या करना है ?**

   - **महाविद्यालय स्तर पर एक समिति का गठन करना है,** जिसमें संकाय सदस्यों की उपलब्धिता की संख्यानुरुप 2–5 संकाय सदस्य एवं 5–15 विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए एक समिति का गठन करें। समिति सदस्यों की संख्या में महाविद्यालय स्तर पर स्वयं निर्ण करें। समिति में नामित सदस्यों में से वरिष्ठतम् संकाय सदस्य को इस समिति का समन्वयक नामित करें तथा शेष संकाय सदस्य इस समिति के सदस्य होंगे। **इस समिति में सम्मिलित विद्यार्थियों को सह–सदस्य (Associate Member) बनाया जावे।**
   - **यह महाविद्यालय में स्थापित/संचालित पुस्तकालय के अतिरिक्त व्यवस्था होगी, जिसके लिये गठित समिति में नामित संकाय सदस्यों का कार्यकाल प्राचार्य द्वारा निर्धारित व्यवस्थानुरुप अवधि तक तथा विद्यार्थियों को कार्यकाल अधिकतम 02 वर्ष तक के लिये होगा।**
   - **यदि आपके महाविद्यालय में पुस्तकालयाध्यक्ष उपलब्ध है तो इस समिति के सभी सदस्यों को पुस्तकों की एन्ट्री, इश्यू करने एवं जमा करने की तकनीकी प्रकिया के संबंध में एक छोटा सा प्रशिक्षण करवायें।**

     यदि, पुस्तकालयाध्यक्ष उपलब्ध नहीं हो तो RACE के माध्यम से इस प्रशिक्षण व्यवस्था को जिला मुख्यालय पर कुछ सदस्यों को आमंत्रित कर करवाया जा सकता है।

विकल्पतः समिति अपने स्तर पर दानदाताओं से प्राप्त पुस्तकों की एन्ट्री, इश्यू करने एवं जमा करने की प्रकिया स्वयं निर्धारित करेगी।

- समन्वयक के साथ अन्य नामित संकाय सदस्यों में से संकायवार सह–समन्वयक भी बनाये जा सकते हैं।
- नामित विद्यार्थियों की संख्या का निर्धारण भी संकायवार विद्यार्थी संख्यानुरुप किया जा सकता है। अर्थात, जिस संकाय में विद्यार्थी संख्या ज्यादा हो उसमें से अधिक विद्यार्थी सदस्य नामित किये जा सकते हैं ताकि उनकी सहायता इस परियोजना में ली जा सके।
- विद्यार्थी सह–सदस्य का चयन उनकी योग्यता, कर्त्तव्य निष्ठा, ईमानदारी एवं स्वैच्छिक सेवा हेतु तत्परता आधारित किया जाना है।

2. इसका प्रबंधन कैसे संभव होगा ?

- महाविद्यालय द्वारा संकाय सदस्यों/अध्ययनरत एवं पूर्व विद्यार्थियों को पुस्तक दान के लिये सूचना महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड/स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से देनी होगी।
- इसी प्रकार महाविद्यालय के बाहर से भी व्यक्तियों को पुस्तक दान के लिये प्रेरित करें।
- अधिकाधिक व्यक्तियों को पुस्तक दान के लिये प्रेरित करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों को पुस्तकें सुलभ करवाई जा सकें।
- **पुस्तक दान से पुस्तक प्राप्त करने के लिये समन्वयक/सह–समन्वयक/सदस्य की निगरानी में सह–सदस्य विद्यार्थियों की टीम बनाकर उनके नाम व स्थान साइन बोर्ड/फ्लैक्स/नोंटिस बोर्ड आदि पर डिस्प्ले करने होंगे तथा इसकी सूचना समाचार पत्रों में भी दी जा सकेगी।**
- इस प्रयोजनार्थ एक कक्ष चिन्हित करके उसमें पुस्तकों को व्यवस्थित रुप में संग्रहित करवाकर **सामुदायिक पुस्तक–शाला** तैयार करवाई जानी है।
- इस सामुदायिक पुस्तक शाला में यदि सम्भव हो, और सदस्य/सह–सदस्य समय निकाल सकें तो बेहतर होगा कि विद्यार्थयों को यहीं किसी पुस्तक के पढने के लिये भी पुस्तक इश्यू करवा सकते हैं। यह अतिरिक्त सहायता नियमित कक्षाओं के साथ परन्तु सीमित समय के लिये यथा मध्यान्ह 12 से 3 बजे तक अथवा मध्यान्ह प्श्चात 1 बजे से 3 बजे तक आदि आदि हो सकती है।
- गठित समिति में से ही संकायवार उप–समिति बनाकर पुस्तकों का रिकार्ड संधारित करवाया जाना है।
- सत्र के अन्त में प्राचार्य द्वारा नामित अन्य समिति/संकाय सदस्यों से इस सामुदायिक पुस्तक–शाला का भौतिक सत्यापन करवाया जाना है।

3. लाभार्थी कौन होगा ?

- संबंधित महाविद्यालय में अध्ययनरत सभी विद्यार्थी इसके लाभार्थी के रुप में आवेदन के पात्र हैं।
- परन्तु, पुस्तकों की उपलब्ध संख्यांनुरुप ही विद्यार्थियों को पुस्तकें उपलब्ध करवाई जा सकती हैं अतः निम्न वर्गों –

- ➢ बी.पी.एल. एवं आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के छात्र–छात्राएं,
- ➢ महाविद्यालय में नियमित रुप से आने वाले विद्यार्थी,
- ➢ पिछली परीक्षा (बोर्ड/विश्वविद्यालय) में उच्च श्रेणी प्राप्त मेरिटोरियस विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जानी है।

- उपलब्ध होने पर अन्य विद्यार्थियों को भी मांग आधार पर पुस्तकें जारी की जा सकेंगी। इस प्रयोजनार्थ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर पुस्तकें उपलब्ध करवाई जा सकेगी।

4. कैसी पुस्तकें दान की जा सकती हैं ?

- **महाविद्यालय में संचालित विश्वविद्यालयी नियमित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकें** जो कि सही हालत में हों तथा फटी–पुरानी नहीं हों। **नियमित पाठ्यक्रम से संबंधित दान में दी जाने वाली पुस्तकें 03 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिये।** तथापि **साहित्य अथवा अन्य ऐसे विषय जहां पुरानी पाण्डुलिपियों की उपलब्धिता वांछित हो, दान में ली जा सकेगी।**
- **प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित पुस्तकें**, परन्तु ऐसी पुस्तकों में करैण्ट अफेयर्स की पुस्तकें 01 वर्ष से अधिक पुरानी एवं सामान्य ज्ञान की पुसतकें 02 वर्ष से अधिक पुरानी ग्राह्य नहीं होंगी।

5. पुस्तक इश्यू एवं वापिस जमा करने की व्यवस्था क्या होगी ?

- पुस्तक प्राप्ति हेतु महाविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित करने होंगे।
- आवेदन के आधार पर उपरोक्त प्राथमिकता एवं उपलब्ध पुस्तक संख्या के अनुरुप वितरण प्रकिया अपनाई जा सकेगी।
- जारी की जाने वाली पुस्तकें **क्लबिंग एण्ड शेयरिंग बेसिस** पर भी जारी की जा सकती हैं, जिसमें अभिप्राय हैं कि 2–3 सहजता से जुडे हुए विद्यार्थियों का समूह बनाकर उनमें से प्रत्येक को मांग आधारित एक–एक पुस्तक जारी की जाये, जिन्हें वे स्वयं अपने स्तर पर साझा करके पढ सकते हैं। इससे अधिक विद्यार्थी लाभान्वित किये जा सकते हैं।
- पुस्तक इश्यू करने की प्रकिया पूर्णतः पारदर्शी होनी चाहिये।
- आवेदक एवं प्राप्तकर्ता की सूचना रजिस्टर मैण्टेन करते हुए स्पष्टतः संधारित करनी होगी।
- इश्यू की गई पुस्तक एक बार में अधिकतम 3 महीने के लिये जारी की जा सकेगी। परन्तु अधिक मांग नही होने की स्थिति में इसे पुनः परीक्षा समाप्ति तक के लिये जारी किया जा सकेगा।
- अन्तिम वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों से पुस्तक वापिसी सुनिश्चित करने की प्रकिया स्वयं महाविद्यालय स्तर पर सुनिश्चित करनी होगी।

6. अन्य अपेक्षाएं:

- विद्यार्थी हित में संकाय सदस्यों का प्रो–एक्टिव स्वैच्छिक सहयोग।
- महाविद्यालय स्तर पर इस योजना का संचालन, प्रबंधन, प्रचार–प्रसार एवं पारदर्शिता।
- आकांक्षी विद्यार्थियों के साथ सौम्य एवं सद्भावी व्यवहार।
- महाविद्यालय स्तर पर इस योजना के प्रति रुचि एवं विद्यार्थियों को इससे जोडने के उपागम।

विद्यार्थी हित में इस योजना का अधिकाधिक प्रचार प्रसार करें एवं विद्यार्थियों की सहायता करें। विद्यार्थियों के लिये इस प्रकार के नवाचार संससाओं को समाज के प्रति जबाबदेह बनाने एवं विकास में संस्थानिक भूमिका निर्वहन के लिये सकारात्मक संदेश देंगे। सभी महाविद्यालय इस प्रकार के पुनीत कार्य की अन्य योजनाएं पर भी ध्यान दें ताकि हम सभी मिलकर राज्य में उच्च शिक्षा का सुख, सौम्य एवं गुणात्मक वातावरण तैयार कर सकें।

प्रदीप कुमार बोरड़, IAS
विशिष्ठ शासन सचिव, उच्च शिक्षा, एवं
आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान

पत्रांक: CCE/ P&C/ ISDC/ CBB/2019/ **1219-20**; Date: 07th Sept. 2019
सूचनार्थ प्रतिलिपी:

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, आकाशि, जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक, HRD/PI/P&C/Acad./Admn./RUSA/RVRES, आकाशि, जयपुर।
7. सभी सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान।
8. सभी प्रभारी अधिकारी, महाविद्यालय समूह, आकाशि, जयपुर।
9. वैब प्रभारी को आकाशि की वैबसाइट पर अपलोड/संबंधितों को ई–मेल करने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

07/9/19
डा. विनोद कुमार भारद्वाज,
प्रभारी अधिकारी
नवाचार एवं कौशल विकास